GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
DEPARTMENT OF FERTILIZERS

**RAJYA SABHA**

**UNSTARRED** QUESTION **NO. 1457**TO BE ANSWERED **ON: 15.03.2022**

**Sale of adulterated and spurious fertilizer in open market**

**1457: SHRI SUJEET KUMAR:**

Will the Minister of **CHEMICALS AND FERTILIZERS** be pleased to state:

(a) whether a large quantity of adulterated and spurious fertilizers are still available f or sale in the open market and if so, the details thereof;

(b) whether Government has authorized any agency for investigation in this regard;

(c) if so, the name of the said agency and the details of investigations carried out, along with the outcome thereof; and

(d) the steps taken by Government to address the issue?

**ANSWER**

MINISTER OF HEALTH & FAMILY WELFARE AND CHEMICALS & FERTILIZERS

**(DR. MANSUKH MANDAVIYA)**

(a): No such cases have been brought to the notice of Government of India. However, during the year 2020-21 around 5.4% samples were declared non standard.

(b) to (d): Clause 19 of the Fertilizer Control Order (FCO) strictly prohibits the sale of fertilizers which are not of prescribed standard. The State Government are the enforcement authorities and are adequately empowered under FCO to take action against violation of the provision of FCO. Violation of the FCO provision invokes both administrative action such as Cancellation, Suspension of Authorization letter under FCO and Penal action which involves punishment from 34 months to 7 years.

**********

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित** प्रश्न संख्या **1457**

जिसका उत्तर मंगलवार, 15 मार्च, 2022/24 फाल्गुन, 1943 (शक) को दिया जाना है।

**खुले बाजार में मिलावटी और नकली उर्वरकों की बिक्री**

**1457. श्री सुजीत कुमार:**

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुले बाजार में अभी भी भारी मात्रा में मिलावटी और नकली उर्वरक बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच पड़ताल करने के लिए किसी एजेंसी को अधिकृत किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त एजेंसी का नाम क्या है और की गई जांच पड़ताल का ब्यौरा क्या है, साथ ही तत्संबंधी परिणाम क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा मामले का समाधान करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री**

**(डा. मनसुख मांडविया)**

---

**(क):** इस प्रकार के कोई मामले भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाये गये हैं। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 5.4% नमूने अमानक घोषित किए गए।

**(ख) से (घ):** उर्वरक नियंत्रण आदेश (एफसीओ) का खण्ड 19 ऐसे उर्वरकों की बिक्री का सख्त निषेध करता है जोकि निर्धारित मानक के नहीं हैं। राज्य सरकार प्रवर्तन प्राधिकरण है और उसे एफसीओ के प्रावधान के उल्लंघन पर एफसीओ के तहत कार्रवाई करने की समुचित शक्ति प्रदान की गई है। एफसीओ प्रावधान के उल्लंघन पर प्रशासनिक कार्रवाई जैसे रद्दकरण, एफसीओ के तहत प्राधिकार पत्र निलंबन और दण्डात्मक कार्रवाई, जिसमें 34 माह से 7 वर्ष तक की सजा शामिल है, दोनों की जा सकती हैं।

*******